न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/20118

अब्दुल रशीद पुत्र नजर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी आजमनगर तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 07.03.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

पत्रावली उनवानी अल्लादीन बनाम बाबू खां वगैरहा दावा संख्या 83/1997 निर्णय दिनांक 30.07.2010 इजराय की पालना वाली सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्रमाणित प्रति के रूप मे उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ।लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा से अपील के संबंध मे जवाब भिजवाने हेतु पंत्राक 160 दिनांक 22.01.2018,223 दिनांक 31.01.2018,268 दिनांक 08.02.2018,291 दिनांक 15.02.2018 व अर्द्वशासकीय पत्र कमांक 401 दिनांक 26.02.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्राप्त नही हुआ है।जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक